

चेक लिस्ट क्रमांक:- 26

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन
(प्रपत्र - III में)

प्रपत्र - 3

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1.	परियोजना का नाम	:	आवेदक महाराष्ट्रा स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमि. (महाजेनको) द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत गारे पेलमा सेक्टर-2 कोल ब्लॉक में कोयला खनन कार्य हेतु रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. का वन व्यपवर्तन प्रस्ताव।
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	:	महाराष्ट्रा स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमि. नागपुर।
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	:	214.869 हे.
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	जिला वनमण्डल परियोजना स्थल रायगढ़ रायगढ़ वनभूमि कक्ष क्रमांक 732 पी. एफ., 740 पी.एफ. 741 पी.एफ. 744 पी.एफ. 745 पी.एफ.
5.	वन भूमि का विस्तृत विवरण	:	
	क. आरक्षित वन	:	0.000 हे.
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	:	99.735 हे.
	ग. राजस्व वनभूमि	:	115.134 हे.
	घ. योग	:	214.869 हे.
6.	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	:	घनत्व 0.4 से 0.5
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	:	साल. चार. महुआ, साजा, जामुन एवं अन्य मिश्रित प्रजाती के कुल वृक्ष संख्या = 3684
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	:	सामान्य
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	:	संलग्न है।
		:	

10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं है।
11.	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	संलग्न है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं किया गया है।

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गयी वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- वनभूमि कक्ष क्रमांक 732 पी.एफ., 740 पी.एफ. 741 पी. एफ. , 744 पी.एफ., 745 पी.एफ.
दिनांक :- 04.10.2021

मुख्य वन संरक्षक/वन मण्डल अधिकारी
बिलासपुर वृत्त/रायगढ़ वनमण्डल
मय सील

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

FP/CG/MIN/20495/2016

7-परियोजना/स्कीम का स्थान

— आवेदक महाराष्ट्रा स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमि. (महाजेनको) द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत गारे पेलमा सेक्टर-2 कोल ब्लॉक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	—	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	—	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	—	रायगढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)—		214.869 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	—	संरक्षित, राजस्व, वनभूमि (सूची संलग्न)
(vi)	हरियाली का घनत्व	—	0.4 से 0.5

(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. —2मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए।
.....प्रस्तावित क्षेत्र में 3684 वृक्ष का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।.....

(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

.....भू-क्षरण होगा

(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।

.....प्रस्तावित स्थल वन सीमा के अंदर है।.....

(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)

राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व या हाथी कॉरीडोर स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में हाथियों का आवागमन होता रहता है।

- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

.....नहीं पाया जाता।.....

- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्व/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

.....नहीं है।.....

8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।

.....प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम का प्रमाण पत्र संलग्न है।.....

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।

.....नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है.....

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य निजी भूमि ग्राम- नटवरपुर, चक्रधरपुर एवं धुमाबहाल में 214.938 हे. प्रस्तावित किया गया है। जिसमें सागौन, आवंला, एवं मिश्रित प्रजाती के पौधे का वृक्षारोपण किया जावेगा।

- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों का आकार।
प्रस्तावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रायगढ़ परिक्षेत्र अंतर्गत समतुल्य निजी भूमि ग्राम- नटवरपुर, चक्रधरपुर एवं धुमाबहाल में 214.938 हे. का चयन किया गया है।

- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि के आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है।

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।
रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है ।

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।
क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है ।

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।)
प्रतिपूर्ति वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है ।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें ।)

..... जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है ।.....

विभाग/जिला प्रोफाइल

(i) वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र

.....6836.00 वर्ग कि.मी.

(ii) जिले का वन क्षेत्र

.....3243.04 वर्ग कि.मी.

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।

..... 64/3758.555 हे.....

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :-

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि ।

.....निरंक

(ख) वनेत्तर भूमि पर ।

.....निरंक

(v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ अंतर्गत कुल स्वीकृत क्षेत्र 3758.555 हे. है । जिसके विरुद्ध 3081.681 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है । शेष क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है ।

12- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

आवेदक महाराष्ट्रा स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमि. (महाजेनको) द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत गारे पेलमा सेक्टर-2 कोल ब्लॉक में कोयला खनन कार्य हेतु रायगढ़ जिले के

रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. वन भूमि प्रभावित हो रहा है। . वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। अतः प्रस्ताव स्वीकृत की जा सकती है।

दिनांक:- 04.10.2021

स्थान:- रायगढ़ (द.ज.)

हस्ताक्षर

नाम डा० प्रणय मिश्रा

वन मण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल
सरकारी मोहर